हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

| तारीख हुक्म | |
|---|---|
| 31.5.22 | पत्रावली पेश हुई । प्रार्थी वकील एवं विप्रार्थी संख्या –1 के वकील उपस्थित ।प्रार्थी वकील ने बहस करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते करते हुए बताया की प्रार्थी के मौजा ग्राम भाडियावास के खेत खसरा संख्या 1215/897, 1216/897, 1217/897, 1218/897, 1220/897 व 1221/897 कुल खसरा 6 रकबा 16 बीघा 10 विस्वा में प्रार्थी का कब्जा काश्त भूमि है । विप्रार्थी संख्या –1 ता 3 उसके सेढा पडौसी है। जिस कारण हमेशा खेत की सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। विवाद की स्थित सुलझाने के लिए प्रार्थी अपने खेत की नेखम पैमाईश के जरिये पत्थरगढी करवाना चाहता है। |
| | उपस्थित विप्रार्थी संख्या –2 ने वकील के जबाब में कथन किया की प्रार्थी ने तथ्यों को छिपाते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है । जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि प्रार्थी ने अपने हिस्से की खातेदारी में से गोरधनदास, कान्तादेवी, पुखराज, चन्द्राराम, प्रवीणकुमार, पवनकुमार को बेचान की है, जिसके समर्थन में उन्होनें नामान्तरकरण 1267 एवं 1268 की छाया प्रति पेश की उक्त नामान्तरकरण न्यायालय में विचाराधीन है। जिसका निस्तारण विचाराधीन है। जबकि प्रार्थी स्वंय ही जिसने भूमि को आगे बेच दिया है, ,खातेदार होना अभिकथित कर नेखमबंदी करवाना चाहता है, जो अपने आप में विराधाराभासी है, इस कारण प्रकरण विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है । मौके पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है । न्यायालय में पूर्व में विचाराधीन विभित्र प्रकरणों में संबंधित तहसीलदार, भू.अ निरीक्षक, पटवारी कूडी की मौका व रेकर्ड की रिपोर्ट पत्रावली में आ चुकी है जिसकी फोटो प्रति जबाब के साथ पेश की गयी है । |
| | हमने उभय पक्षकारन की बहस को सुना । पत्रावली व पत्रावली संलग्न जबाब व दस्तावेजातों का अवलोकन व अध्ययन किया गया । बाद अवलोकन स्पष्ट होता है कि प्रार्थी ने सही तथ्यो को छिपा कर प्रार्थना पत्र पेश किया है व प्रार्थी के द्वारा अन्य कास्तकारान को उक्त आरांजी भूमि का बेचान किया गया है जिसका विवाद न्यायालय में विचाराधीन होते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है जो जिससे प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है । |
| | आदेश सरे इजलास दिनांक 31.5.2022 को सुनाया गया । |
| | पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो । |
| | उप खण्ड अधिकारी (SDO) |

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh S
Date: 2022.10.01 19:00:18
Reason: SelfAttested